[2018] 2 एससीआर 667

पूर्व एलटी. कर्नल. आरके राय

बनाम

भारत संघ एवं ओआरएस.

(2015 की सिविल अपील संख्या 3101-3102) 16 फरवरी 2018

[एके सीकरी और अशोक भूषण, जे.जे.]

सशस्त्र बल - सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 - विनियम 48, 50 - विकलांगता पेंशन - पात्रता - अपीलकर्ता, आर्टिलरी रेजिमेंट में नियुक्त, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर का कर्तव्य निभाते समय बीमार पड़ गया - मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि चिकित्सा विकलांगता के कारण था सेवाओं का तनाव और तनाव - अपीलकर्ता ने समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया और 29.07.2003 को सेवानिवृत्त हो गया - मेडिकल बोर्ड ने अपीलकर्ता की विकलांगता 30% आंकी - चिकित्सा विकलांगता पेंशन की मंजूरी के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर ओए को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है अपीलकर्ता को, क्योंकि उसने विकलांगता पेंशन देने की अंतिम तिथि, यानी 01.01.2006 से बहुत पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी - समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई - अपील पर, आयोजित: भारत सरकार ने विकलांगता का लाभ बढ़ाने के लिए दिनांक 19.05.2017 को आदेश जारी किया सशस्त्र बल कार्मिकों को पेंशन, जो 01.01.2006 से पहले भी सेवानिवृत्त/सेवा से मुक्त हो गए - अपीलकर्ता विकलांगता पेंशन के अनुदान के लिए सभी तीन शर्तों को पूरा करता है और पूरी तरह से सरकारी आदेश दिनांक 19.05.2017 द्वारा कवर किया गया है - ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अलग रखा जाता है - प्रतिवादियों को सरकारी आदेश दिनांक 19.05.2017 के अनुसार अपीलकर्ता के दावे पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है - हालाँकि , उत्तरदाताओं के लिए मेडिकल बोर्ड बुलाकर अपीलकर्ता की विकलांगता के प्रतिशत का आकलन करना हमेशा खुला रहेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि विकलांगता प्रतिशत 20% या उससे कम है और यदि विकलांगता 20% से कम हो गई है तो किसी भी भविष्य की तारीख से दावा बंद कर दें - सेवा कानून - सैन्य सेवा.

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1.1 दिनांक 19.05.2017 के सरकारी आदेश के पैरा 3 में प्रावधान है कि 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को लाभ का विस्तार निम्नलिखित शर्तों पर है:-

(ए) उनकी विकलांगता को सैन्य सेवा के कारण या बढ़ी हुई के रूप में स्वीकार किया गया था

(बी) उन्होंने उस विकलांगता के बदले में एकमुश्त मुआवजा देना छोड़ दिया था

(सी) संबंधित सशस्त्र बल कार्मिक को अभी भी उसी विकलांगता से पीड़ित होना चाहिए जिसका मूल्यांकन इस पत्र के प्रभावी होने की तिथि पर 20% या उससे अधिक किया जाना चाहिए। [पैरा 8]

1.2 मेडिकल बोर्ड की राय में, अपीलकर्ता का प्राथमिक उच्च रक्तचाप सेना की सेवा के कारण बढ़ गया था और इसके लिए दिए गए कारण "सैन्य सेवा के तनाव और तनाव के कारण" हैं। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की विकलांगता सैन्य सेवा के कारण बढ़ गई थी और विकलांगता का प्रतिशत 30% था। सरकार के दिनांक 19.05.2017 के आदेश के पैरा 5 में प्रावधान है कि प्रभावित मामलों में विकलांगता तत्व के अनुदान के लिए दावा इसके प्रभावी होने की तिथि के अनुसार लागू विकलांगता की सीमा को दर्शाने वाली मेडिकल बोर्ड/नई मेडिकल बोर्ड कार्यवाही की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। कमीशन प्राप्त अधिकारियों/जेसीओ/ओआर के संबंध में पत्र। आदेश के पैरा 7 में उल्लेख है कि "इस पत्र के प्रावधान 01.01.2006 से प्रभावी होंगे।" अत: दिनांक 19.05.2017 के आदेश के प्रयोजनार्थ विकलांगता की गणना दिनांक 01.01.2006 को की जानी है। इसे आदेश के पैरा 3 से भी समझा जा सकता है। [पैरा 9, 11 और 12]

1.3 रिलीज मेडिकल बोर्ड ने 31.03.2004 को अपीलकर्ता की विकलांगता 30% पर तय की, जिसे विकलांगता प्रकृति में स्थायी माना गया। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए अपीलकर्ता ने बयान दिया कि उसने विकलांगता के बदले में कोई एकमुश्त मुआवजा नहीं लिया है। उनके बयान को न मानने का कोई कारण नहीं है.' इस प्रकार अपीलकर्ता विकलांगता पेंशन अनुदान के लिए सभी तीन शर्तों को पूरा करता है। अपीलार्थी शासन के दिनांक 19.05.2017 के आदेश से पूर्णतः आच्छादित है। विकलांगता पेंशन अनुदान के लिए पैरा 5 के अनुसार उचित कदम उठाए जाएं। हालाँकि, उत्तरदाताओं के लिए मेडिकल बोर्ड बुलाकर अपीलकर्ता की विकलांगता के प्रतिशत का आकलन करना हमेशा खुला रहेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि विकलांगता प्रतिशत 20% या उससे कम है या नहीं। उत्तरदाताओं के लिए यह खुला होगा कि वे भविष्य की किसी भी तारीख से दावा बंद कर दें, जब किसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें यह लगे कि विकलांगता 20% से कम हो गई है। [पैरा 13,14]

1.4 जहां तक अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की गई "एजीआई विकलांगता" के मामले में, दावे को खारिज करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश का अवलोकन यह संकेत नहीं देता है कि उक्त दावा ट्रिब्यूनल के समक्ष दबाया गया था। समीक्षा याचिका में भी, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपीलकर्ता ने उक्त दावे को दबाया है। अत: इन अपीलों में उक्त दावे पर विचार करना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, अपीलकर्ता को ट्रिब्यूनल के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ऐसी स्थिति में, दावे को दबाया गया और उस पर विचार नहीं किया गया। [पैरा 15]

भारत संघ बनाम अजय वाही (2010) 11 एससीसी 213: [2010] 7 एससीआर 777; लेफ्टिनेंट कर्नल पीके कपूर (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ [2009 के ओए संख्या 139 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली का निर्णय]; मेजर (सेवानिवृत्त) राजेश कुमार भारद्वाज बनाम भारत संघ [2011 के ओए संख्या 336 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली का निर्णय दिनांक 07.02.2012] - संदर्भित।

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[2010] 7 एससीआर 777 पैरा 1 को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की सिविल अपील संख्या 3101-3102

2013 के मूल आवेदन संख्या 25/2013 के विविध आवेदन संख्या 65 में 20.09.2013/20.01.2014 के निर्णय और आदेश से, 2013 के मूल आवेदन संख्या 25 में और समीक्षा आवेदन संख्या 4 में अंतिम आदेश दिनांक 11.06.2014 से 2014 में मुंबई में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण क्षेत्रीय पीठ की।

लेफ्टिनेंट कर्नल आरके राय, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

संजय कुमार पाठक, परणय रंजन, मुकेश कुमार मारोरिया, सुश्री बीनू टम्टा, सुश्री अंजलि बोरा, ध्रुव टम्टा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का फैसला **अशोक भूषण, जे.** द्वारा सुनाया गया।

अपीलकर्ता द्वारा ये दो अपीलें मुंबई में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण क्षेत्रीय पीठ द्वारा दिनांक 20.09.2013 को पारित आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिसमें याचिकाकर्ता के 2013 के ओ.ए. नंबर 25 को खारिज कर दिया गया है और 2014 के समीक्षा आवेदन संख्या 4 को खारिज करने वाले आदेश दिनांक 11.06.2014 को चुनौती दी गई है। मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता को 24.12.1982 को आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। वर्ष 1987 में ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर के कर्तव्य का पालन करते समय अपीलकर्ता बीमार पड़ गये, जिनका इलाज सैन्य अस्पताल, देवलाली में किया गया। 21.01.1988 को मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई तो उन्हें निम्न मेडिकल श्रेणी में रखा गया। मेडिकल बोर्ड की राय थी कि विकलांगता तनाव और सेवाओं के दबाव के कारण थी। 27.09.2000 को मेडिकल री-वर्गीकरण बोर्ड ने अपीलकर्ता की विकलांगता 50% आंकी। वर्ष 2002 में, अपीलकर्ता नागालैंड के ज़खामा में तैनात था। 20.09.2002 को आयोजित मेडिकल री-वर्गीकरण बोर्ड ने अपीलकर्ता की चिकित्सा विकलांगता का फिर से 50% मूल्यांकन किया। 06.02.2003 को अपीलकर्ता ने समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। अपीलकर्ता 29.07.2003 को सेवानिवृत्त हो गया। 31.03.2004 को आयोजित रिलीज मेडिकल बोर्ड ने पाया कि अपीलकर्ता प्राथमिक उच्च रक्तचाप से पीड़ित था, जो सैन्य सेवा के तनाव और दबाव के कारण बढ़ गया था। विकलांगता का मूल्यांकन 30% किया गया था। अपीलकर्ता ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, मुंबई में 2013 का ओ.ए. नंबर 25 दायर किया, जहां उन्होंने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की: -

“राहत मांगी गई

इस मूल आवेदन में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक निम्नलिखित राहत के लिए अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना करता है: -

उ. माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 1 को चिकित्सा विकलांगता पेंशन दावे को प्रतिवादी संख्या 2 को अग्रेषित करने का निर्देश देने में प्रसन्न है और बाद वाले को आवेदक को जल्द से जल्द चिकित्सा विकलांगता पेंशन देने का निर्देश देता है।

बी. माननीय न्यायालय आवेदक के संबंध में चिकित्सा विकलांगता पेंशन जल्द से जल्द जारी करने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 को आवश्यक निर्देश पारित करने की कृपा करेगा।

सी. माननीय न्यायालय आवेदक को यथाशीघ्र लागू "एजीआई विकलांगता" प्रदान करने के लिए प्रतिवादी नंबर 3 को आवश्यक निर्देश पारित करने की कृपा करेगा।

डी. माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित समझी जाने वाली ऐसी अन्य और अतिरिक्त राहतें देने में प्रसन्न होगा।"

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 20.09.2013 द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल ने सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 के विनियम 48 और विनियम 50 पर भरोसा करते हुए माना कि जिन लोगों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, वे

विकलांगता पेंशन के हकदार नहीं हैं। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने देखा कि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, एक अधिकारी, जो 01.01.2006 को या उसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है और जिसकी विकलांगता 20% या उससे अधिक है, या तो सैन्य सेवा के कारण या बढ़ी हुई है, वह हकदार होगा विकलांगता पेंशन के लिए. हालाँकि, वह लाभ आवेदक को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसने 01.01.2006 की अंतिम तिथि से बहुत पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों के साथ-साथ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के OA नंबर 1390f2009, लेफ्टिनेंट कर्नल पीके के निर्णयों पर भरोसा करते हुए ट्रिब्यूनल के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की। कपूर (सेवानिवृत्त) बनाम। भारत संघ. समीक्षा याचिका में, याचिकाकर्ता ने प्रधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि 01.01.1996 से पहले और 01.01.1996 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के बीच कट ऑफ डेट में अंतर करना भेदभावपूर्ण और मनमाना है। ट्रिब्यूनल भारत संघ बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा कर रहा है। अजय वाही (2010) 11 एससीसी 213 ने समीक्षा याचिका खारिज कर दी। अपने ओए के साथ-साथ समीक्षा याचिका को खारिज करने से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने ये अपीलें दायर की हैं।

2. अपीलकर्ता, पूर्व. लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. राय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं। हमने भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को भी सुना है।

3. व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अपीलकर्ता का तर्क है कि 2009 के ओए नंबर 139 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के फैसले के मद्देनजर, लेफ्टिनेंट कर्नल पी.के. कपूर (सेवानिवृत्त) बनाम. भारत संघ और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, चंडीगढ़ के निर्णयों के साथ-साथ क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई के निर्णय के अनुसार, उन अधिकारियों को, जिन्होंने 01.01.2006 से पहले भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, विकलांगता पेंशन प्रदान की गई है। उनका कहना है कि प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 2009 के ओए नंबर 139 में पहले ही 04.05.2009 के सरकारी परिपत्र के पैरा 2.1 को रद्द कर दिया है। अपीलकर्ता ने 2011 के ओए संख्या 336, मेजर (सेवानिवृत्त) राजेश कुमार भारद्वाज बनाम में प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के फैसले को प्रस्तुत किया है। भारत संघ एवं अन्य। दिनांक 07.02.2012 को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और अब दिनांक 19.05.2017 को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें सशस्त्र बल कार्मिकों को विकलांगता पेंशन का लाभ दिया गया है, जो 01.01.2006 से पहले भी सेवानिवृत्त, सेवा से मुक्त हो गए थे। उनका कहना है कि दिनांक 19.05.2017 के आदेश के मद्देनजर अपीलकर्ता विकलांगता पेंशन का हकदार है। उन्होंने आगे

कहा कि अपने मूल आवेदन में, उन्होंने "एजीआई विकलांगता" प्रदान करने के लिए राहत की प्रार्थना की है, जिस पर विचार नहीं किया गया है।

4. भारत संघ के विद्वान वकील ने अपीलकर्ता की दलील का खंडन करते हुए तर्क दिया कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों में से एक के खिलाफ; एसएलपी इस न्यायालय में लंबित है। उन्होंने आगे कहा कि 19.05.2017 के आदेश से, यह स्पष्ट है कि 2006 से पहले सेवानिवृत्त/सेवामुक्त सशस्त्र बल कर्मियों को विकलांगता पेंशन प्रदान करना पैरा 3 में निर्धारित शर्तों के अधीन है और अपीलकर्ता उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है।

5. प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान वकील का कहना है कि 2013 के ओए संख्या 25 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादी संख्या 5 को कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए कोई भी प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित नहीं हो सका और दायर नहीं कर सका। आपत्ति. प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि "एजीआई विकलांगता" पर अपीलकर्ता के दावे के संबंध में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि ट्रिब्यूनल का आदेश यह भी नहीं दर्शाता है कि एजीआई विकलांगता दावे पर ट्रिब्यूनल के समक्ष बहस भी नहीं की गई थी। प्रतिवादी नंबर 5 के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता किसी भी "एजीआई विकलांगता" का हकदार नहीं है और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के तहत, अपीलकर्ता को जो भी देय था उसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

6. हमने अपीलकर्ता और भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 5 की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

7. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.05.2017 की एक प्रति अपीलकर्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसकी एक प्रति उत्तरदाताओं के विद्वान वकील को भी दी गई है। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने उन अधिकारियों के दावे को स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने 01.01.2006 से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी, उपरोक्त आदेश के मद्देनजर अपीलकर्ता के दावे की जांच की जानी चाहिए। संपूर्ण सरकारी आदेश दिनांक 19.05.2017 को निकालना उपयोगी है, जो निम्नलिखित प्रभाव वाला है: -

"संख्या 16(05)/2008/डी(पेंशन/पॉलिसी)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली-110011

दिनांक 19 मई 2017

को,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेना स्टाफ के प्रमुख

वायुसेनाध्यक्ष

विषय: सशस्त्र बल कार्मिकों को विकलांगता तत्व का अनुदान, जो सैन्य सेवा के कारण या बढ़ने के कारण विकलांगता के बावजूद सेवा में बनाए रखा गया था और बाद में 01.01.2006 से पहले समयपूर्व/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर चले गए थे।

महोदय;

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के पत्र संख्या 16(5)2008/डी(पेन/पॉलिसी) दिनांक 29 सितंबर 2009 का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है जिसमें ऐसे सशस्त्र बल कर्मियों को विकलांगता तत्व/युद्ध चोट तत्व की अनुमति दी गई है जिन्हें विकलांगता के बावजूद सेवा में बनाए रखा गया था। और सेवानिवृत्त/सेवामुक्त स्वैच्छिक या अन्यथा सेवानिवृत्त/सेवा पेंशन या सेवानिवृत्त/सेवा उपदान के अलावा, इस शर्त के अधीन कि उनकी विकलांगता को सैन्य सेवा के कारण या बढ़ी हुई के रूप में स्वीकार किया गया था और उस विकलांगता के बदले में एकमुश्त मुआवजा माफ कर दिया गया था।

2. उपरोक्त संदर्भित पत्र के पैरा-3 के अनुसार ऊपर बताए गए प्रावधान उन सशस्त्र बल कर्मियों पर लागू होते हैं जो 01.01.2006 को या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त/मुक्त किए गए थे। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (प्रधान शाखा) नई दिल्ली ने OA संख्या 336 0£ 2011 में अपने आदेश दिनांक 07.02.2012 के माध्यम से इस मंत्रालय के उपरोक्त पत्र के पैरा-3 को रद्द कर दिया है।

3. 2006 से पहले सेवानिवृत्त/सेवामुक्त सशस्त्र बल कार्मिकों को उपरोक्त लाभ के विस्तार का मुद्दा, जिन्हें सैन्य सेवा के कारण या वृद्धि के कारण विकलांगता के बावजूद सेवा में बनाए रखा गया था, सरकार के सक्रिय विचाराधीन था। अब, राष्ट्रपति को यह निर्णय लेते हुए खुशी हो रही है कि 2006 से पहले के सभी सशस्त्र बल कार्मिक जो विकलांगता के बावजूद सेवा में बनाए रखे गए थे और स्वेच्छा से या अन्यथा सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें सेवानिवृत्ति/सेवा पेंशन या सेवानिवृत्त/सेवा ग्रेच्युटी के अलावा विकलांगता तत्व/युद्ध चोट तत्व की अनुमति दी जाएगी।

इस शर्त के अधीन कि उनकी विकलांगता को सैन्य सेवा के कारण या उसके बढ़ने के कारण स्वीकार किया गया था और उस विकलांगता के बदले में एकमुश्त मुआवजा देने से इनकार कर दिया गया था। इसके अलावा, संबंधित सशस्त्र बल कार्मिक को अभी भी उसी विकलांगता से पीड़ित होना चाहिए जिसका मूल्यांकन इस पत्र के प्रभावी होने की तिथि पर 20% या उससे अधिक किया जाना चाहिए।

4. इन आदेशों का कार्यान्वयन कठिन और चुनौतीपूर्ण होने की उम्मीद है। मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही, विकलांगता के बावजूद कर्मियों को सेवा में बनाए रखना, व्यक्तिगत पूर्वगामी एकमुश्त मुआवजे का विकल्प और एकमुश्त मुआवजे का भुगतान न करने जैसे दस्तावेजों की सभी मामलों में आवश्यकता होगी जो वेतन लेखा प्राधिकरण / रिकॉर्ड के अंत में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। कार्यालय और पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी तत्परता से। ऐसे मामलों में, पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपने दावों के समर्थन में कार्यकारी अधिकारियों को प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

5. प्रभावित मामलों में विकलांगता तत्व/युद्ध चोट तत्व के अनुदान के लिए दावा पीसीडीए (ओ) पुणे/एनपीओ/एएफसीएओ/रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा संबंधित पीएसए को मेडिकल बोर्ड/नए मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही की सीमा दिखाने वाली प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। कमीशंड अधिकारियों/जेसीओ/ओआर के संबंध में इस पत्र के प्रभावी होने की तारीख तक लागू विकलांगता की संख्या। कमीशन अधिकारियों और जेसीओ/ओआर को विकलांगता तत्व के बदले एकमुश्त मुआवजे के भुगतान/गैर-भुगतान की पुष्टि करने की जिम्मेदारी पीसीडीए (ओ) पुणे/एनपीओ/एएफसीएओ और रिकॉर्ड कार्यालय की होगी। दिनांक 14.08.2001 के एमओडी पत्र संख्या 4684/डीआईआर (पीईएन)/2001 के अनुसार सैन्य सेवा के कारण विकलांगता की सीमा और इसके लिए जिम्मेदारी/वृद्धि को दर्शाने वाली स्वीकृति कमीशन अधिकारियों के मामले में सेवा मुख्यालय द्वारा जारी की जाएगी और जेसीओ/ओआर के मामले में आईओ/सी रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा मंजूरी जारी की जाएगी।

6. सभी प्रभावित मामलों में विकलांगता तत्व/युद्ध चोट तत्व प्रदान करने वाले शुद्धिपत्र पीपीओ संबंधित पेंशन मंजूरी अधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे।

7. इस पत्र के प्रावधान 01.01.2006 से प्रभावी होंगे।

8. तीनों सेवाओं के पेंशन विनियमन में उचित समय पर संशोधन किया जाएगा।

9. यह इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग की सहमति से उनका पत्र एलडी जारी करता है। क्रमांक 10(3)2012/FIN/PEN दिनांक 19 मई 2017।

10. हिंदी संस्करण अनुसरण करेगा।

आपका विश्वासी

एसडी/-

(मनोज सिन्हा)

भारत सरकार के अवर सचिव"

8. सरकारी आदेश के पैरा 3 में प्रावधान है कि 2006 से पहले सेवानिवृत्त लोगों को लाभ का विस्तार निम्नलिखित शर्तों पर है: -

(ए) उनकी विकलांगता को सैन्य सेवा के कारण या बढ़ी हुई के रूप में स्वीकार किया गया था

(बी) उन्होंने उस विकलांगता के बदले में एकमुश्त मुआवजा देना छोड़ दिया था।

(सी) संबंधित सशस्त्र बल कार्मिक को अभी भी उसी विकलांगता से पीड़ित होना चाहिए जिसका मूल्यांकन इस पत्र के प्रभावी होने की तिथि पर 20% या उससे अधिक किया जाना चाहिए।

9. अपीलकर्ता ने रिलीज मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही दिनांक 31.03.2004 पर भरोसा किया है जिसे अनुबंध ए/14 के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है। दस्तावेज़ के भाग 5 में निहित मेडिकल बोर्ड की राय को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेडिकल बोर्ड की राय यह है कि अपीलकर्ता का प्राथमिक उच्च रक्तचाप सेना की सेवा से बढ़ गया है और दिए गए कारण यह हैं कि "तनाव के कारण" सैन्य सेवा के तनाव. भाग V में मेडिकल बोर्ड की राय प्राप्त करना उपयोगी है, जिसका निम्नलिखित प्रभाव है: -

<u>भाग वी</u>

<u>मेडिकल बोर्ड की राय</u>

(व्यक्ति को सूचित नहीं किया जाएगा)

1. सेवा शर्त या अन्यथा के साथ विकलांगता का नैदानिक संबंध				
विकलांगता	**सेवा के लिए जिम्मेदार (हां /नहीं)**	**सेवा से बढ़ा हुआ (हां /नहीं)**	**सेवा से जुड़ा नहीं (हां /नहीं)**	**कारण/मामला विशिष्ट शर्तें और सेवा अवधि**

(ए) प्राथमिक उच्च रक्तचाप	**नहीं**	**हां**	**नहीं**	**सैन्य सेवा के तनाव और तनाव के कारण।**

10. मेडिकल बोर्ड की इसी राय का एक अन्य भाग, जो विकलांगता के प्रतिशत के संबंध में है, निम्नलिखित प्रभाव वाला है:-

1. समान आयु और लिंग के स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में विकलांगता की प्रतिशत डिग्री क्या है? (प्रतिशत निम्नानुसार शून्य के रूप में व्यक्त किया जाएगा):- 1-5%, 6-10%, 11-14%, 15-19% और उसके बाद दस के गुणकों में 20% से 100% तक।			
विकलांगता मूल्यांकन (प्रश्न 1 भाग II के साथ विकलांगता में क्रमांकित)।	**विकलांगता का प्रतिशत**	**विकलांगता की इस डिग्री की संभावित अवधि**	**सभी अवधि के लिए समग्र (अधिकतम 100%)**
(ए) प्राथमिक	**30%**	**स्थायी**	**30%**
(बी)			
(सी)			
(डी)		**एसडी/- xxxx मनोज पापरीकर मेजर।**	**एसडी/- xxxx (सुश्री वंदना नेगी) लेफ्टिनेंट कर्नल।**

11. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की विकलांगता सैन्य सेवा के कारण बढ़ गई थी और विकलांगता का प्रतिशत 30% था। सरकार के दिनांक 19.05.2017 के आदेश के पैरा 5 में प्रावधान है कि प्रभावित मामलों में विकलांगता तत्व प्रदान करने का दावा पीसीडीए (ओ) पुणे/एनपीओ/एएफसीएओ/रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा संबंधित पीएसए को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें मेडिकल बोर्ड/नए मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही की प्रति के साथ कमीशन अधिकारियों/जेसीओ/ओआरएस के संबंध में इस पत्र के प्रभाव की तारीख तक लागू विकलांगता की सीमा को दर्शाया जाएगा। यह पत्र 01.01.2006 से प्रभावी होगा।

12. इस प्रकार, दिनांक 19.05.2017 के आदेश के प्रयोजनों के लिए विकलांगता को दिनांक 01.01.2006 को देखा जाना है। उक्त निष्कर्ष आदेश के पैरा 3 से भी समझने योग्य है।

13. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि रिलीज मेडिकल बोर्ड (अनुलग्नक ए/14) ने अपीलकर्ता की विकलांगता को 30% पर फैसला सुनाया, जिसे विकलांगता प्रकृति में स्थायी माना गया है। अपीलकर्ता जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, यह बयान देता है कि उसने विकलांगता के बदले में कोई एकमुश्त मुआवजा नहीं लिया है। हमारे पास उनके बयान को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है।'

14. अपीलकर्ता इस प्रकार विकलांगता पेंशन अनुदान के लिए सभी तीन शर्तों को पूरा करता है। मामले के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता सरकार के दिनांक 19.05.2017 के आदेश से पूरी तरह से कवर होता है। विकलांगता पेंशन अनुदान के लिए पैरा 5 के अनुसार उचित कदम उठाए जाएं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि उत्तरदाताओं के लिए मेडिकल बोर्ड बुलाकर अपीलकर्ता की विकलांगता के प्रतिशत का आकलन करना हमेशा खुला रहेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि विकलांगता प्रतिशत 20% या उससे कम है या नहीं। उत्तरदाताओं के लिए यह खुला होगा कि वे भविष्य की किसी भी तारीख से दावा बंद कर दें, जब किसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें यह लगे कि विकलांगता 20% से कम हो गई है।

15. जहां तक अपीलकर्ता द्वारा हमारे समक्ष प्रार्थना की गई "एजीआई विकलांगता" के मामले में, दावे को खारिज करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश का अवलोकन यह संकेत नहीं देता है कि उक्त दावा ट्रिब्यूनल के समक्ष दबाया गया था। समीक्षा याचिका में भी, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपीलकर्ता ने उक्त दावे को दबाया है। इस प्रकार, हम इन अपीलों में उक्त दावे पर विचार करना आवश्यक नहीं पाते हैं। हालाँकि, अपीलकर्ता को ट्रिब्यूनल के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ऐसी स्थिति में, दावे को दबाया गया और उस पर विचार नहीं किया गया।

16. परिणामस्वरूप, सिविल अपील की अनुमति दी जाती है। ट्रिब्यूनल के दिनांक 20.09.2013 और 11.06.2014 के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया गया है। उत्तरदाताओं को उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में दिनांक 19.05.2017 के सरकारी आदेश के अनुसार अपीलकर्ता के दावे पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।

दिव्या पांडे अपील की अनुमति.

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।